न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 80 / 2025 (GCMS : 2025/102)

सौरभ पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **वरूण** पुत्र श्री जगदीश जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **अजय कुमार** पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **इन्दूबाला** पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **कमला देवी** पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **कृष्णा देवी** पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **कालूराम** पुत्र श्री मेघाराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **चेतराम** पुत्र श्री चुन्नीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **चन्दो देवी** पत्नी श्री साहबराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
9. **पिन्टू** पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
10. **लोकेश** पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
11. **हेतराम** पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
12. **योगेश** पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
13. **रूपाली** पुत्री श्री रामकुमार जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
14. **रोशनी** पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
15. **किरण** पुत्री श्री रामकुमार जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुतकिली प्रकरण संख्या 80 / 2025
(GCMS No. 2025/102)
सौरभ बनाम वरूण
आदेश दिनांक 13.05.2026

16. आयरन पुत्र श्री किरण जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

17. हर आम व खास

18. उपखण्ड अधिकारी जरिये श्री अजीत गोदारा, आर.ए.एस., पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

13.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री फलभूर सिंह बराड़ उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का विचाराधीन है कि चक 26 एमएल के खाता संख्या 84 / 74 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 4.490 हैक्टेयर में से प्रार्थी के पिता के नाम 561 / 4490 हिस्सा तथा इसी चक के खाता संख्या 70 / 63 के मुरब्बा नं. 25की 4.453 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अवैध एवं जबरन वादी के हिस्सा की कृषि भूमि में विद्युत पोल लगाकर ट्रांसफार्मर लगाना चाहते है। जबकि प्रतिवादी के पास पूर्व में ही विद्युत सम्बन्ध एवं लाईन पहले से ही चालू है।

अप्रार्थी संख्या 1 काफी राजनैतिक दबाव वाला व्यक्ति है जिसकी सीधे ही प्रतिवादी संख्या 18 के काफी करीबी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को आगामी तारीख पेशी को खारिज करवा लूंगा।

अप्रार्थी संख्या 1 का विद्युत विभाग में काफी प्रभाव है। प्रार्थी ने राजस्थान सरकार के सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें समुचित कार्यवाही नही होकर भी प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 काफी रसूक वाला व्यक्ति है, जिसकी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में सीधे ही मुलाकात होती है। अप्रार्थी दि[illegible]2005 को पीठासीन अधिकारी से मिलते हुए देखा है और सरेआम [illegible] कि वह आगामी पेशी पर फैसला करवा लूंगा। इसलिए [illegible] से न्याय प्राप्ति की संभावना नहीं है। इसलिए प्रार्थी का विचारण न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 18 / 2025 एवं 41 / 2025 अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए आरटीए एवं उसके संलग्न 212 आरटीए का स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया था और दिनांक 19.02.2025 को एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया। उक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.03.2025 को तलबी हेतु निर्धारित थी, परन्तु प्रार्थी तलबी से पूर्व ही श्रीमान् के न्यायालय में मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन पत्रावली वर्तमान में तलबी एवं जवाब हेतु विचाराधीन है। प्रार्थी ने मिलीभगत कर बिना किसी आधार के यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 23.04.2025 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 41 / 2025 अनवान सौरभ बनाम अरूण वगैरहा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 आरटीए एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रकरण संख्या 18 / 2025 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,92ए, 188 आर.टी.ए. के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को राजनैतिक प्रभाव के कारण, अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है, ऐसा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी किसी भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत शीघ्र निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर